कार्यालय

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

संख्या P.No.-247 /C.M.-1/2021 दिनांक 30-04-2021

कार्यालय ज्ञाप

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या:31/सी.एम.पी.एस./दिनांक 26 मार्च, 2020 द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावी रूप से निपटने के दृष्टिगत टीम-11 का गठन किया गया था।

वर्तमान में कोविड महामारी की द्वितीय लहर के परिप्रेक्ष्य में महामारी के प्रभावी नियन्त्रण, चिकित्सालयों में आई0सी0यू0 व ऑक्सीजनयुक्त बेड्स की व्यवस्था, एम्बुलेन्स सेवाओं की सुचारू व्यवस्था, ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, लोगों के आवागमन को नियन्त्रित करने, मीडिया को सही जानकारी देने, प्रदेश के सभी जनपदों में इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एवं कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने, चिकित्सा व चिकित्सा शिक्षा विभागों की ईकाइयों द्वारा जनमानस को सभी सुविधाएं सुनिश्चित कराने, सभी औद्योगिक इकाइयों को संचालित रखने व वहाँ काम कर रहे मजदूरों की समस्याओं के समाधान तथा जनसामान्य से लगातार संवाद आदि महत्वपूर्ण कार्यों हेतु टीम-11 को पुनर्गठित करते हुए निम्नानुसार टीम-9 का गठन किया जाता है:-

क्रमांक	समिति	अध्यक्ष/ सदस्य	कार्य आवंटन
1	**श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी**	अध्यक्ष	1. सरकारी व निजी चिकित्सालयों में आई0सी0यू0 व ऑक्सीजन युक्त बेड्स की व्यवस्था सुनिश्चित करना। 2. सभी चिकित्सालयों में मैनपावर की व्यवस्था सुनिश्चित करना। 3. प्रदेश में चल रहे टीकाकरण अभियान को सुचारूरूप से सम्पन्न कराना तथा आवश्यक संख्या में टीकों की आपूर्ति की व्यवस्था करना। 4. भारत सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से समन्वय करना। 5. प्रदेश में कोरोना वायरस के सम्भावित
	श्री संदीप सिंह, मा0 चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री जी; अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य	

			एवं संक्रमित व्यक्तियों का प्रभावी इलाज एवं देखभाल, प्रदेश में कोविड 19 से सम्बन्धित चिकित्सीय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना जिनमें चिकित्सालयों में आइसोलेशन वॉर्ड, दवाइयों एवं मास्क आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु। 6. प्रदेश में मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना।
2	**श्री जय प्रताप सिंह, मा0 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी**	**अध्यक्ष**	1. प्रदेश में एम्बुलेन्स की सेवाओं सुचारू रूप से सुनिश्चित कराना। 2. **प्रदेश स्तर पर एवं सभी जनपदों में** इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एवं कन्ट्रोल रूम **की व्यवस्था की** नियमित रूप से समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति की जिज्ञासा व अनुरोध सही अधिकारी व विभाग तक अवश्य पहुंच जाए। 3. सभी आवश्यक दवाइयों के अतिरिक्त Remdesivir & Tocilizumab की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित कराना। 4. होम क्वारेन्टाइन की सुचारू व्यवस्था तथा मेडिकल किट उपलब्ध कराना और इसकी नियमित समीक्षा करना।
	श्री अतुल गर्ग, मा0 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री जी; अपर मुख्य सचिव/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण; राहत आयुक्त	**सदस्य**	
3	**मुख्य सचिव**	**अध्यक्ष**	1. भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों से महत्वपूर्ण मुददों पर समन्वय स्थापित करना। 2. भारत सरकार को प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराना। 3. भारत सरकार के सभी पत्रों का
	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/ चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ चिकित्सा शिक्षा	सदस्य	

			तत्काल व यथा सम्भव उसी दिन उत्तर भेजना सुनिश्चित कराना। 4. अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।
4	**अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त**	**अध्यक्ष**	1. प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों का सभी दिन व व्यावसायिक ईकाइयों का बन्दी के दिनों को छोड़कर संचालन सुनिश्चित कराना। 2. सभी इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना सुनिश्चित करना। 3. सभी औद्योगिक व व्यावसायिक ईकाइयों में काम करने वाले कार्मिकों (नियमित/दैनिक वेतन/संविदा पर) की समस्याओं का शासन, जिला प्रशासन व इकाई स्तर पर आवश्यक निराकरण सुनिश्चित कराना।
	अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग/ श्रम एवं सेवायोजन।	सदस्य	
5	**कृषि उत्पादन आयुक्त**	**अध्यक्ष**	1. गेहूँ क्रय की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित कराना तथा किसानों को गेहूँ के मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित कराना। 2. किसानों को समय से खाद, बीज आदि सभी आवश्यक इनपुट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करना। 3. गो आश्रय स्थलों में भूसे, चारे आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराना आदि। 4. समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सभी आवश्यक सामग्रियां जनमानस को उचित मूल्य पर ही मिलें तथा बढ़ा-चढ़ाकर मूल्य लिए जाने की सूचनाएं प्राप्त न हों।
	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि/कृषि विपणन/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास/ परिवहन/ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति/ दुग्ध विकास एवं पशुधन/ निदेशक, मण्डी	सदस्य	
6	**अपर मुख्य सचिव, गृह**	**अध्यक्ष**	प्रदेश में ऑक्सीजन की समुचित व समय

	प्रमुख सचिव, खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रशासन/ परिवहन/ अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था/पी.ए.सी.)	सदस्य	से व्यवस्था सुनिश्चित कराना तथा इस हेतु भारत सरकार, अन्य प्रदेशों तथा आपूर्तिकर्ताओं एवं ट्रांस्पोर्टरों से समन्वय स्थापित करना।
7	**अपर मुख्य सचिव, राजस्व**	**अध्यक्ष**	1. प्रवासी कामगारों के प्रदेश में आने पर रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों तथा सभी जिलों में उनकी जांच तथा जिनके लिए आवश्यक हो क्वारेन्टाइन की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
	राहत आयुक्त/ सचिव, गृह	सदस्य	
8	**पुलिस महानिदेशक**	**अध्यक्ष**	1. कन्टेनमेन्ट जोन में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराना तथा पूरे प्रदेश में मास्क की अनिवार्यता को सुनिश्चित कराना। 2. साप्ताहिक बन्दी के आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराना। 3. सभी जेलों में साफसफाई सुनिश्चित करना तथा उन्हें सेनिटाइज करना। 4. ट्रेनिंग सेन्टर, पी0ए0सी0 बटालियनको सेनीटाइज करना एवं इसमें तैनात फोर्स को रिजर्व के रूप में तैयार करनाजिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फील्ड में तैनात किया जा सके। 5 सभी पुलिस लाइनों में कोविड केयर सेन्टर स्थापित कराकर उन्हें नियमित रूप से संचालित कराना।
	पुलिस महानिदेशक, कारागार/ट्रेनिंग एवं अपर पुलिस महानिदेशक(कानून व्यवस्था/पी.ए.सी.)	**सदस्य**	
9	**अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज**	सदस्य	1. प्रदेश के सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं सेनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं उसकी नियमित रूप से समीक्षा करना। 2. प्रदेश के सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों
	अपर मुख्य सचिव, नगर विकास; प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम; निदेशक	सदस्य	

	पंचायती राज		में निगरीनी समितियों को सक्रिय रखना व उनकी नियमित समीक्षा करना। 3. पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था को नियमित रूप से लागू कराना। 4. सम्पूर्ण प्रदेश में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

उक्त सभी समितियों के अध्यक्ष यथा आवश्यकता किसी अन्य अधिकारी अथवा विशेषज्ञ को समिति के सदस्य के रूप में co-opt करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

उक्त सभी समितियों के अध्यक्ष, समितियों द्वारा की गयी कार्यवाहियों की सूचना, नियमित रूप से प्रतिदिन होने वाली बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी अवगत कराएंगे।

सी0एम0 हेल्पलाईन द्वारा अधिक से अधिक संख्या में होम क्वारन्टीन तथा अस्पतालों मे भर्ती मरीजों से प्रतिदिन बात की जाए तथा यदि कहीं कोई कमी पाई जाती है तो तत्काल सम्बन्धित जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया जाए। इस बात का भी सत्यापन किया जाए कि सभी संक्रमित व्यक्तियों को कोरोना किट तथा आयुष किट उपलब्ध कराई जा रहीं है अथवा नहीं।

अपर मुख्य सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क प्रतिदिन प्रदेश स्तर पर की जा रही कार्यवाही की विस्तृत जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराएंगे।

o/c (एस0पी0 गोयल) 30/4/2021
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री

<u>पत्रांक: 247/सी.एम.-1/2001/दिनांक 30 अप्रैल, 2021</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ

1. निजी सचिव, श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी; श्री जय प्रताप सिंह, मा0 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी; श्री अतुल गर्ग, मा0 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री जी तथा श्री संदीप सिंह, मा0 चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री जी को मा0 मंत्रिगण के संज्ञानार्थ।

2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, गृह/ राजस्व/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. प्रमुख सचिव/ सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज/ नगर विकास/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग/ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास/ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ श्रम एवं सेवा योजन/ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन/ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति/परिवहन/ दुग्ध विकास एवं पशुधन/मत्स्य।
9. सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
10. पुलिस महानिदेशक,कारागार।
11. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/पी.ए.सी.।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम।
13. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
14. निदेशक, पंचायती राज।
15. निदेशक, मण्डी।

o/c 30/4/2021

(एस०पी० गोयल)
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री